क्र. /280/का.सेल./24

देवास दिनांक 27/03/2024

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्वामी श्री अशोकसिंह चावडा पिता श्री नारायणसिंह चावडा 10/1 चन्द्रलोक नगर देवास विकासकर्ता जीवी डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री विकास क्षोत्रिय पिता श्री सुरेशचन्द्र क्षोत्रिय 2316-ई सुदामा नगर इंदौर, श्री गोपाल सिंह कुशवाह पिता श्री तेजपाल सिंह कुशवाह नवलक्खा चौराहा 401 सिद्धार्थ विहार 12-13 प्रकाश नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास सिनियर तहसील देवास जिला देवास स्थित खसरा क. 384/3, 387 / 2 / 1, 387 / 4 कुल रकबा 0.848 हैक्टर में से 0.799 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय अशोक आंनद पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1851.43 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 13 से 25 एवं 26 से 42 कुल 30 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1851.43 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता हैं कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

क्र. /243_{/ का.सेल./24}

देवास दिनांक 26 03 1202 4

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा मेसर्स कनक काउन खसरा न.902 ट्रेजर प्राईम के सामने बिजलपूर इंदौर तर्फे पार्टनर श्री मनमीतिसंह सलुजा पिता श्री मनमोहन सिंह सलुजा, श्री संदीप सिंह सलूजा पिता श्री मनमोहनसिंह सलूजा निवासी 861/1/5 ट्रेजर टाउन बिजलपूर इंदौर, श्री राजेश कुमार सोनी पिता श्री जवाहरलाल सोनी निवासी 169 एम.जी.रेड देवास, श्री देवेन्द्र शर्मा पिता श्री तुलसीरामजी शर्मा निवासी वी—2/12 वसंत विहार उज्जैन, श्री प्रमोद गुप्ता पिता श्री कैलाशचन्द्र जी गुप्ता निवासी 31 रामनगर देवास द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास जिला देवास स्थित खसरा क. 218/1, 219, 221/11, 221/2 कुल रकबा 3.455 हैक्टर में से 3.235 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय काउन पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 6157.54 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 119 से 186 तथा SR 209 से SR 220. कुल 80 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6157.54 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी 261011124 भग्र पालिक निगम देवास

26-03-24

देवास दिनांक 09 102 12024

ज्ञ. /11) _{/ का.सेल./24}

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा साई डेवकॉन तर्फ पार्टनर श्री दीपक पिता श्री हरीराम हिन्दुजा निवासी 10/1, 501 न्यु पलासिया इंदौर , श्री पियुष पिता श्री आजाद कुमार शर्मा निवासी 17 गोयल ऐवेन्यु निपानिया इंदौर द्वारा ग्राम शंकरगढ जिला देवास स्थित खसरा 334/3, 347/1/2/2, 347/2/2/2, $\overline{\phi}$.334/1/2, 334/2/2, 348/1/4/1/1/2/2, 348/1/4/2/2, 348/1/6/2, 350, 351/1/2, 352/1, 353/1 कुल रकबा 1.921 हेक्टर में से 1.9177 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय साई छाया कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4534.61 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 04 से 14, 18, 21 से 30, 46, 47, 59, 60, 61, 66 से 70, 73 से 87, 89 से 94, 97, 105, 128, 133, 139 कुल 58 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4534.61 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य / विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

नुग्रर पालिक निगम देवास

क्र. /24 /का.सेल./23

देवास दिनांक 10 01/2024

विज्ञिप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भौमियाजी लैण्ड एण्ड फायनेंस कंपनी तर्फ भागीदार श्री गौरव जैन पिता स्व.श्री कैलाश कुमार जैन, श्रीमती मंजुबाला जैन पित स्य.श्री कैलाश कुमार जैन 90 शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 1178, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1201 कुल रकबा 4.755 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री कैलाश मानसरोवर कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 9868.91 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 22, 45, 56, 57, 58, 88, 93 से 111, 116 से 124, 130 से 153, 173 से 179, 191, 192, 216, 217, 242, 243, 278, 279 कुल 94 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 9868.91 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेंटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवतं रहेगा।

नगर पालिक जि

10-01-24

क्र. / 53 / का.सेल. / 23

देवास दिनांक 15 ी01/2024

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा रूद्राक्ष इन्फा तर्फ भागीदार श्री गौरव जैन पिता स्व. श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीन सिंह पिता श्री गंगासिंह सोलंकी, श्री इन्द्रेश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पमनानी, पता 90 शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क.786/2, 787/2, 788/1, 903/2 कुल रकंबा 0.569 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कालोनी रूद्राक्ष फेस-2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफंल 1305.33 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01, 10 से 34 कुल 26 भूखण्ड बंधक रखें गये है। उक्त बंधक रखें गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1305.33 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्यं/विकय नहीं किया ्जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

क्र. / 60 / का.सेल. / 234

देवास दिनांक 15 701/2024

विज्ञिप्त

नगर पालिक निगम देवास द्वारा मेसर्स कान्हा इन्फाटेक तर्फ भागीदार श्री मयंक पिता श्री प्रमोद रघुवंशी, श्री अंकित जायसवाल पिता श्री राजेन्द्र जायसवाल, श्री धनपाल पिता श्री सौवाल सिंह 101 मिश्रीलाल नगर देवास द्वारा ग्राम जेतपुरा तहसील देवास जिला देवास स्थित खसर क. 477/2/2 कुल रकबा 0.678 हैक्टर में से 0.579 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कान्हा ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1582.25 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 03, 09 से 15, 20 से 23, 30 से 36 एवं 45 से 49 कुल 26 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1582.25 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपशेक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

9102127

क्र. /38 /का.सेल. / 23

देवास दिनांक 12/01/2024

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा सांवरिया डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री बिरजु पिता श्री देवरावजी थोरात, श्री अखिलेश सोनी पिता श्री किशोर सोनी, श्री कमल आहुजा पिता श्री श्यामसुंदर आहुजा, श्री दर्शन शाह पिता श्री त्रिलोकचंद शाह, श्री हेमंत पिता श्री शरदचंद्र क्षीरसागर 01 सांवरिया कालोनी मेण्डकी रोड देवास द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास जिला देवास की भूमि सर्वे क. 218/2, 221/6/2 एवं 221/7/1 कुल रकबा 2.530 हैक्टर में से 2.423 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय सांवरिया ग्रीन कालोनी को विकास कार्य प्रारम करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के बिकास कार्य के एवंज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4704.14 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 53, 165 से 168, 148 एवं 149 कुल 59 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4704.14 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी

21/21/24

क्र. / 127 है का.सेल. / 23


देवास दिनांक 20/12/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्वामी मेसर्स कामधेनु ऐजेंसी तर्फ श्री गोविंददास मुंदडा पिता श्री किशनलाल (उर्फ कृष्ण मुंदडा), श्रीमती लीलादेवी मुंदडा पित स्व.श्री नारायणदास मुंदडा, श्रीमती उर्मिला मुंदडा पित श्री गोपालदास मुंदडा, 24 एचआयजी विजय नगर देवास विकासकर्ता विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री रामनिवास मित्तल 122 शांती निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 833/6, 838/2, 854 कुल रकबा 1.610 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक प्रिमियम फेस—1 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3128.16 वर्गमीटर के भूखण्ड क. P-2, P-5 से P-27 कुल 24 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है जो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

मगर पालिक दिलास देवास



क्र. /12⁶ / का.सेल./23

देवास दिनांक 19 12/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री रामनिवास मित्तल 122 शांती निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 839/2, 853 कुल रकबा 2.937 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक प्रिमियम फेस—2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4712.97 वर्गमीटर के भूखण्ड क. S-137, S-146, S-147, S-29 से S-46, S-63 से S-69, S-77, S-84 से S-88, S-90 से S-92 कुल 37 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4712.97 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

व्यास

1-12-23

/1238 pn. सेल. / 23

देवास दिनांक 0 4 12 2 0 23

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा हर्षिता डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल ा श्री किशनलाल अग्रवाल, श्री प्रमोद गुप्ता पिता श्री कैलाशचन्द्र गुप्ता 31 रामनगर देवास ा ग्राम बिंजाना तहसील देवासं जिला देवास की भूमि सर्वे क. 211/2 एवं 214/3/2/1 ा रकबा 0.530 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय हर्षिता विहार कालीनी को विकास कार्य भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में धित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 2634.86 वर्गमीटर के ण्ड क. 01 से 27, 31 से 37, 39 से 43, SR-3 एवं SR-4 कुल 2634.86 वर्गमीटर है। गस कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से वित भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य / विक्रय नहीं किया गिरमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतुः

ग्रानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

क्र. / 117) का.सेल. / 23

देवास दिनांक 23)10/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्वामी श्री चिंतामन पटेल पिता श्री श्यामलाल उर्फ श्री बद्रीलाल, श्री जितेन्द्र मोदी पिता श्री गोविंद मोदी विकासकर्ता पेडर्स कार्पोरेट प्रा.लि. तर्फें डायरेक्टर श्री पकंज व्यास पिता श्री बाबुलाल व्यास, श्री राकेश जोशी पिता श्री भवानीशंकर जोशी, श्रीमती अनिशा पित श्री पंकज व्यास प्लाट न.102 आनंद इन्क्लेव सोसायटी 33 ए अमृत पैलेस निपानिया इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ तहसील व जिला देवास स्थित भूमि खसरा कमांक125, 126, 128, 96/2/1, 96/4/3/1, 98/1 कुल रकबा 5.919 हैक्टर में से 3.479 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित देवास इण्डस्ट्रीयल पार्क कालोनी औद्योगिक विकास को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 6496. 67 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01, 11, 12, 13, 17, 21, 27, 30, 32, एवं 33 कुल 10 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6496.67 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो, वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

26-10-23

क्र. **/)) 8 ७** / का.सेल. / 23

देवास दिनांक 30/10/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री श्री रामनिवास मित्तल 122 शांती निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 1192, 1193, 1194/3, 1195, 1196/1, 1232/3, 1232/4, 1234/2, 1235/1/2, 1235/2 कुल रकबा 2.272 हैक्टर में से 2.272 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4350.00 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01, 34 से 38, 39, से 45, 75 से 76, 77, 114 से 119, 120 से 125, 146 से 150, 154, 156 से 162, 166 से 173, 174 से 190 कुल 66 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4350.00 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

नगर पालिक निम्

91m21 30-10-23

क्र. / 134/का.सेल./23

देवास दिनांक 04/10/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री अजय अग्रवाल पिता श्री रमेश कुमार अग्रवाल 73 बी शालनी रोड देवास द्वारा ग्राम बालगढ तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. 45/2/1, 45/2/2/2, 45/3/2 कुल रकबा 0.632 हैक्टर में से 0.631 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय वैदिक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1870.29 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 12, 33, 34, 41 से 45 एवं 47 से 49 कुल 22 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1870.29 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी ।

15/11) Sz 10.23

क. / 1124 / का.सेल. / 23

देवास दिनांक 05/10/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर गंगा बिल्डकॉन तर्फे श्री विनोद पिता श्री जंठानंद हासानंदानी, श्री उत्कर्ष पिता श्री मनोज राजानी 16/3 सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इंदौर द्वारा ग्राम मेढकीचकं तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. 445, 446, 447/1, 473/2/1, 473/2/2, 473/3, 484/1, 484/2, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 487, 488, 489/1, 489/2, 489/3, 490/1, 490/2, 491, 528/1, 529/1 कुल रकबा 2.224 हैक्टर में से 2.194 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गंगा पेरेडाईज कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3941.75 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 13 से 18, 29 से 52, 96 से 104, 109 से 118 कुल 49 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3941.75 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

10-23

क्र. / 1102 / का.सेल. / 23

देवास दिनांक 27/09/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स ट्रायडेंट डेव्हलपर्स तर्फ श्री आनंद पिता श्री वाल्मिकी चौरिसया, श्री विवेक पिता श्री भेरूलाल पाटीदार, श्री मुकेश पिता श्री बनेसिंह दीवान, श्री अर्जुन पिता श्री दिर्यावसिंह चौधरी 57 जेएसएम त्रिगोनें नवरत्न हैरिटेज बालगढ रोड देवास द्वारा ग्राम ईटावा तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. 3/1/2/1, 3/2/1 कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गोल्ड सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 8238.56 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 1, 2, 17 से 42, 57 से 60, 76 से 86, 100 से 111, 127 से 140, 176 से 196, 199 से 210 एवं 212 से 227 कुल 36 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 8238.56 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधकार १०

क्र. / 1071 / का.सेल. / 23

देवास दिनांक, 21/09/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री सिद्धीविनायक डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री कपिल कारला पिता श्री माधवदास कारला श्री प्रदीप पिता श्री रामप्रसाद चौधरी, श्री मनीष पिता श्री माधवदास कारला 64 कैलाश पार्क गीता भवन इदौर द्वारा ग्राम बालगढ तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क.178/1, 178/3/1, 178/4, 178/5/1, 178/5/2, 179/2 कुल रकबा 1.665 हैक्टर में से 1.660 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री सिद्धीविनायक विहार कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4467.44 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 06 से 10, 19, 20, 30 से 36, 49, 50, 63 से 96 कुल 49 भूखंण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4467.44 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखंण्डों का क्य/विकय किया जाता है 📢 वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

क. /293/का.सेल./₂₂

देवास दिनांक 11 /02 /2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री नाथ ऐसोसिएट्स देवास तर्फें श्री ओमप्रकाश यादव पिता श्री हीरालाल यादव, श्री राकेश पिता श्री भुरालाल, श्री विनोद पिता श्री रमेशचन्द्र, श्री सोहनलाल पिता श्री प्रहलाद निवासी 03 शुक्रवारिया हाट देवास द्वारा ग्राम देवास सिनियर स्थित भूमि सर्वे क.441/6/2, 441/5 कुल रकबा 0.739 हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय कृष्णा ग्रीन्स कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 1961.38 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 02, 07, 08, 11, 12, 13, 18, 19, 25 से 34, 36 से 46 एवं 53 कुल 30 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये मूखण्डों का क्षेत्रफल 1961.38 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया

जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवंत रहेगा।

मक्न अधिकार भू २०२१

91m1 2022

क्र. /²⁵⁰/का.सेल./₂₂

देवास दिनांक ७७/०२/२०22

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री रूद्राक्ष इन्फा निवासी 90 शालीनी रोड देवास तर्फें श्री गौरव जैन पिता श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीन सिंह पिता श्री गंगासिंह सोलंकी, श्री इंद्रेश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पमनानी द्वारा ग्राम देवास जुनियर प्रिथत भूमि सर्वे क.782/3, 784/3, 785, 786/1, 787/1, 902/1, 903/1, 904, 905/2 रकबा 1.331 हैक्टर भूमि पर श्री रूद्राक्ष कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनीईजर द्वारा 2562.62 वर्गमीटर के भूखण्ड क.07 से 16, 24 से 33, 54 से 61, 64 से 74, 119 से 122, 127, 149, 150 कुल 46 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2562.82 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्य किया

जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवित अधिकारि है 27

91/02/22

क्र. /256/का.सेल./22

देवास दिनांक 0 8 02 2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स विनायक कंस्ट्रवशन एण्ड डेव्हलपर्स तफें पार्टनर श्री मोनेश पिता श्री नेमीचंद जैन , श्री राजेश जैन पिता श्री नेमीचंद्र जैन, श्री सुनील पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल निवासी एलजी–2, 351–ए महालक्ष्मी नगर इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ जिला देवास स्थित भूमि सर्वे क.23/3/3, 23/3/4, 23/3/5, 23/3/6, 23/4/3/2, 23/4/4/2, 23/4/5/2, 23/4/6/2रकबा 1.337 हैक्टर भूमि पर स्वास्तिक सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के कालोनाईजर द्वारा 3218.32 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 27 से 46, 77 से 80, 82 से 106 कुल 49 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3218.32 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्य किया

जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

ST(1) Se 2.22

क. / ६५० का.सेल./22

देवास दिनांक 20105 202

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर गेसर्स माँ कामाख्या रियलिटिज तर्फें भागीदार श्री शंकरलाल पिता श्री किशोरीलाल शर्मा, श्री इशान जैन पिता श्री प्रदीप जैन निवासी 01 मक्त प्रहलाद नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास सिनियर स्थित भूमि सर्वे क.413 रकवा 1.173 हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय श्री किशनधाम कालोनी को विकास कार्य प्रारंग करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3598.81 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 60 कुल 60 भूखण्ड बंधक रखें गये है। उक्त बंधक रखें गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3598.81 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखें गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो/वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

नगर पालिक निर्का देवास

20 5.2022

क. / ⁶ 4 6 / का.सेल. / 22

देवास दिनांक 23 05 2 0

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स श्री शिवाय बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री मनीष पिता श्री तेजिसह ठाकुर, श्री अश्विन पिता स्व.श्री कृष्णराव दुबे, श्री हरीश पिता श्री रतनलाल सचदेव, श्री निलेश पिता श्री महेशचन्द्र जाजु, श्रीमती राधा पित श्री प्रेमकुमार अग्रवाल, श्री अंकितिसह पिता श्री सुभाषसिंह ठाकुर निवासी ए बी.रोड बिलावली देवास द्वारा ग्राम मेढकीचक जिला देवास के खसरा क.619/1 कुल रकवा 0.732 हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय श्री शिवाय धाम कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2255.79 वर्गमीटर के भूखण्ड क 01 से 06, 16 से 19, 31, 35, 36, 40 से 47, 48 से 55, 64, 73 से 81 कुल 39 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2255.79 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णत

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

मवन अधिकारी हुन थ्रा एट पालिक निकृति देवस

2/25

2

東. /593/ का.सेल./22

देवास दिनांक 12 05

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्री जािकरजल्ला पित श्री सादुल्ला शेख, श्रीमती जहीर बी पति श्री शफीजल्ला शेख, श्रीमती कौसर पर्स्वीन पिता श्री शफीजल्ला शेख, श्रीमती कौसर पर्स्वीन पिता श्री शफीजल्ला शेख, श्रीमती संप्रक टांवर सूपर मार्केट देवास तर्फ विकासकर्ता गंगा डेवकान प्रायवेट लिमिटेड 16/3 सम्यक टांवर ओल्ड पलािसया इदौर तर्फ डायरेक्टर डॉ.हरीश मंगलानी पिता श्री गंगाराम मंगलानी, श्री पवेल राजानी पिता श्री मनोज राजानी, श्री हर्ष हासानदानी पिता श्री विनोद हासानंदानी, एवं (सी.ई.ओ.) श्री विनोद हासानंदानी पिता श्री जेवानंद हासानंदानी निवासी 16/3 सम्यक टांवर ओल्ड पलािसया इंदौर द्वारा देवास सिनियर स्थित भूमि सर्व क 397/2 रकबा 0.434 हेक्टर में से 0.308 हैक्टर भूमि तथा 397/3 रकबा 0.464 हैक्टर कुल रकबा 0.772 हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय गंगा विहार एक्टेशन 2 कालोनी को विकास कार्य प्रारम करने की अनुमित प्रदान की गई है। जक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 1665.09 वर्गमीटर के भूखण्ड क 01, 02, 15, 16, 17 से 21, 22 से 28, 40 से 44 कुल 21 भूखण्ड बंधक रखे गये है। जक्त बंधक रखे गये मूखण्डों का क्षेत्रफल 1665.09 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया

जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकार 12029 भगर पालिक जिल्ला हवास

3101.

क. /538/का रोल /22

देवास दिनाक 2.2 01/2.7

विद्यप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वास कालोगाईजर गुमिरवामी श्री बदीलाल (बदीप्रसाद) पिता स्व.श्री आसाराम मोहरी, श्रीमती रमाबाई पति श्री बदीलाल मोहरी, श्री राजन्द पिता श्री बदीलाल मोहरी, श्री दिनेश पिता श्री बदीलाल मोहरी निवासी 152 202/1 मीना बाजार एबी.रोंड देवास तथा विकासकर्ता वरदान इन्फ्रांबिल्ट द्वारा भागीदार श्रीमती निवि पति श्री नितिन शिरपुरकर निवासी 601 ए ओम गुरूदेव काम्पलंबस विजय नगर इदीर श्रीमती प्रगति पति श्री विवेक दिवाकर शिरपुरकर निवासी 525 गोयल विहास स्वराजना गणेश मंदिर के पास इदौर तर्फ ग्राम देवास सिनियर तहसील देवास स्थित भूमि सर्व क 575/1, 575/2, 575/3, 576/2, 577/1, 578/3, 579/1, 580/1 एव 581/1 कुल रकबा 1.102 हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय आनद विहास लेकच्यू कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3404.75 वर्गमीटर के भूखण्ड क 01 से 09, 16 से 21, 25 से 31, 39 से 49, 54 से 64, 68 से 80 कुल 57 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये है।

अतः सूचितं किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

क. /508/का.सेल./22

देवास दिनांक 13 04/20:

विज्ञिप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्रीमती शांतीबाई कसेरा पति स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, श्री संजय कसेरा पिता स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा. श्री अनिल कसेरा पिता स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, श्रीमती ममता पति श्री महेन्द्र कुमार कसेरा, श्रीमती अनिता पति स्व.श्रीसत्यनारायण कसेरा, श्री हर्ष कसेरा पिता स्व.श्री सत्यनारायण कसेंच, दिशा पिता स्व.श्री सत्यनारायण कसेरा, श्रीमती रानी पिता स्व.श्री मनीष कसेरा निवासी 53 सुभाष चौक के पास अखाडा रोड देवास विकासकर्ता सनशाईन कस्ट्रक्शन 207 सेकण्ड फ्लोर धन ट्रिडेंट नगर इंदौर तर्फे श्री बालकृष्ण पटेल पिता श्री राघेश्याम पटेल निवासी ग्राम दसोडा तहसील सनावद जिला खरगोन द्वारा ग्राम देवास सिनियर जिला देवास के खसरा क.38, 39/1/1, 40/1, 41/1, 43, 40/2, 41/पैकी, 47. 55/पैकी कुल रकबा 4.31 हेक्टर में से 3.190 हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय श्री राजशांती ग्रीन्स कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 8563.82 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 6से 23, 25 से 31, 34 से 41, 43 से 46, 49 से 52, 55 से 62 एवं 84 से 92 कुल 58 भूखण्ड बधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 8563.82 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

नगर पालिक निमादिषास

क. / 803/का.सेल./22

देवास दिनांक 24)06/2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर साई कृपा डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री परीक्षित जोशी पिता श्री राजेन्द्र जोशी, श्री पिता श्री राजेन्द्र जोशी, श्री पुष्पेन्द्र कुमार पिता श्री कल्याणमल माहेश्वरी 101 सुराना नगर बडवाह तह बडवाह जिला खरगोन द्वारा ग्राम देवास सिनियर में स्थित खसरा क.422/1/13/1/1/2 कुल रकवा 1.779 हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय विनायक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2638.46 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 15, 99 से 109 कुल 26 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2638.46 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

1

भवन अधिकारी

क. /⁷⁹²/का.सेल./22

देवास दिनांक 2 2 0 6 2 0 2 2

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स मेसर्स नानक डेवलपर्स तर्फे पार्टनर रसमीत सिंह पिता श्री अजीतसिंह मल्होत्रा, श्रीमती जसमीतसिंह कौर पित श्री रसमीतिसिंह मल्होत्रा, श्रीमती अमृत कौर पित श्री अजीतिसिंह मल्होत्रा निवासीगण 52 नेहरू वार्ड अलका टाकिज के पास पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा ग्राम देवास जुनियर स्थित भूमि सर्वे क.890 रकबा 2.0590 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गोल्डन सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3846.43 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01, 05 से 13, 46 से 51, 58, 59, 61, 69, 76 से 81, 96 से 101, 115 से 123 एवं 136 से 141 कुल 47 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3846.43 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी 209

2/1/2

क. /825/का.सेल./22

देवास दिनांक 01/07/202


विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेससे भूमिस्वामी सिल्वर लाईस लैण्ड एण्ड फायनेंस कपनी तर्फे भागीदार श्रीमती शीतल महाजन पित श्री सिद्धार्थ शंकर महाजन निवासी 305 विशाल ऐवेन्यू नाथ मंदिर रोड इंदौर श्रीमती निलिमा महाजन पित श्री अशोक कुमार महाजन 45/3 मोती बंगला देवास, श्रीमती मीना जैन पिता श्री रमणलाल महाजन 161 तिलक नगर देवास, मेससे सिद्धार्थ शंकर अशोक कुमार महाजन एचयूएफ कर्ता सिद्धार्थ शंकर महाजन पिता श्री अशोक कुमार महाजन 45/3 मोती बंगला देवास तर्फ विकासकर्ता गंगा बिल्डकॉन 16/3 सम्यक टावर ओल्ड पलासिया तर्फ श्री विनोद हासानदानी पिता श्री जेठानंद हासानदानी, श्री उत्कर्ष राजानी पिता श्री मनोज राजानी द्वारा ग्राम मेढकीचक जिला देवास के खसरा क.483, 492/1, 493/1 कुल रकबा 0.906 हैक्टर मूमि प्रस्तवित आवासीय श्री. शंकर गंगा पेराडाईज कालोनी को विकास कार्य प्रारंग करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 1431 19 वर्गमीटर के मूखण्ड क.23 तथा 24 से 42 कुल 20 मूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये मूखण्डों का क्षेत्रफल 1431.19 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन मूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते. तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है ती वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

नगर पालिक निवर्ग देवास



क्र. /852/का.सेल./22

देवास दिनांक 1 2 0 7 / 2 0 2 2

विज्ञिप्त

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्री जलालउद्दीन पिता सरफुद्दीन, श्री सईदउद्दीन पिता सरफुद्दीन निवासी मोहनसिन पुरा देवास, श्री संतोष पिता श्री श्यामंसुदर श्रीवास्तव 67 शांती निकेतन इंदौर विकासकर्ता मेसर्स आराध्या डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री पंकज पाण्डे पता श्री धनश्यामदास पाण्डे, श्रीमती निधी पाण्डे पति श्री पंकज पाण्डे निवासी 602 अल्संटर मेरी शालीमार टाउनशीप इंदौर द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास स्थित भूमि सर्वे क.221/5, 221/9, 221/10, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229 / 2, 230 एवं 231 रकबा 3.797 हैक्टर में से 3.583 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आराध्या टाउनशीन फेस 2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 6713.54 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01, 29 से 57, 124, 125, 127 से 131, 232 से 245, 194 से 215, 105 से 123 कुल 92 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6713.54 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है (तो वह पूर्णतः

भवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

क्र. / 8 6 8/का.सेल./22

देवास दिनांक 18 07 2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक िंगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्री दिलीप कुमार पिता श्री शरदचंद्र जाधव भगतिसंह मार्ग देवास विकासकर्ता प्रेम डेवलपमेंट तर्फ पार्टनर श्री जितेन्द्र जैन पिता. स्व.श्री प्रेमचंद जी जैन निवासी 25 एम.एम.स्कीम न.94 रिंग रोड इंदौर, श्री लिलत भण्डारी पिता श्री ज्ञानचंद भण्डारी निवासी महावीर बाग इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर में स्थित खसरा क.790, 895/1 कुल रकवा 2.472 हैक्टर में से 2.0385 हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय रॉयल हैरिटेज कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3624.53 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 18, 33 से 49, 66, 67 एवं 164 से 168 कुल 42 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3624.53 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भूनगर पीकिक निर्मार्थित

Jan 18-07-22

{क. /}858{/ का.सेल./22}

देवास दिनांक 14)07/2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर बीडीएस डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री भरत जैन पिता स्व.श्री प्रेमचंद जैन 117 शांती निकंतन कालोनी इदौर, श्री दर्शनलाल गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल आरएच—29 पॉलीवाल सिटी, पालीवाल नगर मनीषपुरी इंदौर, श्रीमती आशा गोयल पति श्री सत्यनारायण गोयल 120 सीई स्कीम न.140 गेट न.02 पिपल्याहाना गणेश भवन के पास इंदौर द्वारा ग्राम देवास सिनियर में स्थित खसरा क.411, 412/1/1/1 कुल रकबा 2.1712 हैक्टर में 2.1025 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आईरीस बी.डी.एस.पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 6247.76 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 11, 26, 27, 56 से 84, 96 से 100, 121 से 131 कुल 58 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये मूखण्डों का क्षेत्रफल 6247.76 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है ति वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

विग्रम् पालिक निग्रम्

2001-27

क. /944/का.सेलः/22

देवास दिनांक 3 0 0 8 2622

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स ट्रायडेंट डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री आनद पिता श्री वाल्मिकी चौरासिया, श्री विवेक पिता श्री मेरुलाल पाटीदार, श्री मुकेश पिता श्री बनेसिंह दीवान, श्री अर्जुन पिता श्री दिर्यावसिंह चौधरी निवासी 57 त्रिगोने नवरत्न हैरिटेज बालगढ रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनियर स्थित भूमि सर्वे क.856/2, 857/2, 858, 859/2, 860 एवं 862/2 रकबा 1.595 हैक्टर मूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्रीनाथ रेसीडेन्सी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2576.6 वर्गमीटर के मूखण्ड के 01 से 12, 49 से 52, 58 से 69, 76 से 78, 84 से 87, 127 कुल 36 मूखण्ड बंधक रखें गये है। उक्त बंधक रखें गये मूखण्डों का क्षेत्रफल 2576.6 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखें गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाई जर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते. तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शून्यवत रहेगा।

नगर पालिक निर्मा विवास

30-8-22

क. /¹⁰⁷⁹/का.सेल./22

देवास दिनांक 29 09 2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मारुति डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री अजयपालिसंह पिता श्री लालिसंह दावेडकर , श्री सुभाष जाकेटिया पिता श्री मदनलाल जाकेटिया निवासी 122 कालानी बाग देवास द्वारा ग्राम मेढकीचक तहसील देवास स्थित भूमि सर्वे क.376, 378 रकबा 1.008 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय पुर्वाक्षराज सिटी एनेक्स कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2538.39 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 09, 25 से 37, 45 एवं 56 से 71 कुल 39 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2538.39 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।


अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाई जर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करां लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय, नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कंय/विकय किया जाता है जो वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

नगर पालिक जिमास हैयास

O Sc

Scanned with OKEN Scanner



क. / ^{१०७)} /का.सेल./22

देवास दिनांक07)10/2022

विज्ञप्ति

कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं। बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4437.97 वर्गमीटर है। विकास क. 352 से 388, 390, 454 से 459, 495 से 498, 505, 506, 520 से 525 कुल 56 भूखण्ड भिवत ऐवेन्यु फेस-2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। गर्ग 117 तुकोगंज रोड न्यापुरा देवास द्वारा ग्राम बिलावली तहसील देवास स्थित सर्वे उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 4437.97 वर्गमीटर के भूखण्ड 165/1/1, 166/1/2, 165/2/2/1 रकबा 2.835 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री दीपक कुमार पिता श्री मन्तुलाल

नावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है त्रें वह पूर्णतः वेधिवत भार्मुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से

क्र. / 115 ⁶/का.सेल./22

देवास दिनांक 14) 10 / 2022

नगर ए.वी.रोड देवास तर्फ शुकवारिया हाट देवास, श्री यश शर्मा पिता श्री ओमप्रकाश शर्मा 10 कानुनगो कालोनी श्री बालचंद शर्मा 10 कानुनगो कालोनी, श्रीमती भारती शर्मा 23 राधागंज देवास, श्री प्रेम नैनानी 36 शुक्रवारिया हाट देवास द्वारा ग्राम बिलावली तहसील देवास स्थित सर्वे क.163/1/1. भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री धाम कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान 163/1/2, 163/2/2/2 एवं 180/2/2 कुल रकवा 2.939 हैक्टर में से 1.8432 हैक्टर की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2616.20 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 14, 17, 28, 29, 32, 33, 45, 69, 102 से 107, सी-1 से सी-6 कुल है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं। 33 भूखण्ड वंधक रखे गये पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री ऐसोसिऐटस बी-1/12 आवास है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2616.20 वर्गमीटर भागीदार श्री पियुष नैनानी पिता श्री कन्हेंयालाल नैनानी

जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है त्री वृह पूर्णतः विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से

अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

क्राय पालिक निर्माप्तिकी

ह /IIUS/का.सेल./22

देवास दिनांक 13/10/2022

विज्ञप्ति

रवि पिता श्री गणेशराम नैनानी 38 शुक्रवारिया हाट देवास, श्री विनोद पिता श्री भुरालाल वाणिज्यक (थोक एवं विशिष्ट बाजार) कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति 183/1/1/3/1/1/1/2, 186 कुल रकबा 1.2823 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित सुदंर पार्क कालानी बाग देवास, श्री ओमप्रकाश पिता श्री हीरालाल यादव गवली मोहल्ला देवास द्वारा ग्राम राजचंदानी 73 मिश्रीलाल नगर देवास, श्री रितेश पिता श्री मोहनलाल अग्रवाल प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास क़ार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2305.03 पेटे निगम में बंधक रखे गये है। वर्गमीटर के भूखण्ड क. 18 से 26, 32 से 34, 39 से 45 एवं 62 से 65 कुल 23 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2305.03 वर्गमीटर है। विकास कार्य नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर कान्हा ऐसोसिएटस तर्फ भागीदार श्री तहसील व . जिला देवास स्थित मूमि खसरा कमांक 185/2/2

जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विक्र्य नहीं किया नवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा। अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से तो वह पूर्णतः

13.16 27 S

_{क. /}14 6¹/₎ का.सेल./22

देवास दिनांक 29 12 202

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री दीपक कुमार गर्ग पिता श्री मनुलाल गर्ग निवासी 117 तुकोगंज रोड नयापुरा देवास द्वारा ग्राम अमोना तहसील व जिला देवास सर्वे क.177/2 रकबा 1.943 हेक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय डीएमजी किंग्स पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1674.00 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 06 से 09, 85 से 92 कुल 12 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1674.00 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

JILA S

क्र. / 94 / का.सेल. / 22

देवास दिनांक 23 01 2023

विज्ञप्ति

नगरं पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्रीमती गायत्रीराजे पवार पति स्व.श्रीमंत तुकोजीराव पवार, श्रीमंत विकमसिंह पवार पिता स्व.श्रीमंत तुकोजीराव पवार, कनिका राजे पंवार पिता स्व.श्रीमंत तुकोजीराव पवार निवासी आंनद पैलेस ए.बी.रोड देवास एवं कालोनी विकासकर्ता रीगल रॉयल्स स्केप्स पता एल.एल.पी.309 टी.बी.सी.टावर गीता भवन चौराहा ए.बी. रोड इंदौर तर्फे पार्टनर सैम इंडस्ट्री लि. तर्फे डायरेक्टर श्री आशुतोष माहेश्वरी पिता श्री अशोक माहेश्वरी ,श्री देवराजसिंह पिता स्व.श्री राजेन्द्रसिंह बडगरा,, श्री आदित्य बोरड पिता श्री मनीष बोरड, श्री करण नरसरिया पिता श्री श्याम नरसरिया एवं श्रीमती प्रिती आसुदानी पति श्री विजय आसुदानी देवास जिला देवास द्वारा ग्राम देवास सिनियर तह. व जिला देवास में रिथत खसरा क.381/995/2/2, 381/996, 381/997, 381/1001/2, 381/1002, 381 / 1003, 381 / 1004, 381 / 1005, 381 / 1006, 381 / 1007, 381 / 1008, 381 / 1009 एवं 381/1010/2 कुल रकवा 5.0328 हैक्टर में 4.3379 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आनंद विलास कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3368.46 वर्गमीटर के भूखण्ड क. एफ1 से एफ11 एवं सी 7 कुल 12 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3368.46 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

91m21 93.01.23

क. /113 / का.सेल./23

देवास दिनाक 25 | 01 | 2023

विज्ञिप्त

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर ताज बिल्डकॉन तर्फ पार्टनर श्री पुनीत विजयवर्गीय पिता श्री दिलीप विजयवर्गीय, श्री मुस्तफा पिता श्री हैदर अली, श्री हुसैन पिता श्री मुस्तफा अली, श्री दिलीप कुमार पिता श्री सुरजमल दिजयवर्गीय 52 भगतसिंह मार्ग देवास द्वारा ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास सर्वे क. 106/1/2, 106/4/1/2 कुल रकबा 1.805 हेक्टर में से 1.618 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय ताज रेसीडेंसी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 2838.57 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 11 से 30, 33 से 41, 51,52, 57 से 59, 71, 74 से 79, 85, 91, 93 एवं 105 कुल 45 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2838.57 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2838.57 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है ते वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन आवेशीरी 2025 विगर पालिक नियमी देवांच

Sta 42/2.23

_{क. /} 17 8 / का.सेल. / 23

देवास दिनांक 20/01/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्रीजी रियल स्टेट तर्फ श्री वैभव पिता श्री गोपाल स्वरूप गुप्ता, श्री मोहित पिता श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवारतव 313 राजाराम नगर देवास द्वारा ग्राम मेढकीचक तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 689/2, 691/1/4 कुल रकबा 0.493 हैक्टर में 0.400 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कृष्णा विहार कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1360.06 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01, 03 से 18 कुल 17 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये मूखण्डों का क्षेत्रफल 1360.06 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करां लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

नगर पालिक-निम्मि दिवास

9/m 91

क्र. /217 / का.सेल. /23

देवास दिनांक 0 8 02 2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स गंगा ऐसोसिएट तर्फे भागीदार डॉ.हरिश पिता श्री गंगराम मंगलानी, श्री विनोद पिता श्री जेठानंद हासानंदानी, श्री विवेक पिता श्री डॉ.हरीश मंगलानी, श्री हर्ष पिता श्री विनोद हासानंदानी, श्री पवेल पिता श्री मनोज राजानी, श्री पलाश पिता श्री कैलाश राजानी पता 16/3 सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इंदौर द्वारा ग्राम मेढकीचक तहसील देवास स्थित भूमि सर्वे क.503/1/1/2/1/2/2, 504/2/2, 510/1, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5/2, 514/2 रकवा 5.334 हैक्टर में से 5.2712 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कैलाश पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड केन्नफल 4644.83 वर्गमीटर के भूखण्ड के 176 से 192, 193 से 200, 201 से 208, 209 से 217, 218 से 221, 222 एवं 223 कुल 48 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है जी वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

> मवन अधिकारी जमर पालिक जिस्सि प्रवास

1111 9-02-23

,387/an. etc. /23

देवास दिनांक (३) ७३) २०७३

विज्ञिप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर आराध्या छेवलपर्श तर्फें श्री पंकज पण्डे क्वा थी धनश्याम पाण्डे, श्रीमती निधि पाण्डे पति श्री पंकज पाण्डे निवासी 602 अल्सटर गेरी हिनास टाउनशीप इंदौर द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील व जिला देवास सर्वे क.221/1/2, 21/3, 233/1/2, 234/1/1/2 कुल रकवा 1.972 हैक्टर भूगि पर प्रस्तावित आवासीय गराध्या प्रिमीयम रेसीडेंसी कालोनी को विकास कार्य प्रारंग करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय वास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4437.14 वर्गगीटर के भूखण्ड क.01 से 04, 15 से 21, 16, 41 से 44, 46, 47, 48, 52, 55, 59 से 77, 109 से 113, 123 से 126 कुल 49 भूखण्ड होक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4437.14 वर्गगीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से वैधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं दिग्या जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः

भवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन आन्यस्या १००

विज्ञप्ति क. /619 /का.सेल./2023

देवास दिनांक 15/05/ 2023

:- चतुर्थ निविदा विज्ञप्ति :-

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20(1)(2) के अंतर्गत यथावर्णित देवास सीनियर की भूमि सर्वे क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखे गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत चतुर्ध बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते हैं। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हें अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्रस्थापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रि लिफाफा पद्धति प्रपत्रों में दिनांक 15.06.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो में नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखे गये टेण्डर वाक्स में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 14.06.2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य रू. 1180/— मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्थापना (आफर) दिनांक 16.06.2023 को प्रात:11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफे क. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त मुखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Φ.	प्लाट क.	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि वर्गमीटर में	भूखण्ड की आफर राशि	दस प्रतिशत अमानत राशि	विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों का उपयोग
1	192	72	6500	468000	46800	आवासीय
2	196	72	6500	468000	46800	आवासीय

नोट :--

01. शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।

02. निविदा से संबंधित शर्ते एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।

> 21m21 16.5.23

(विशाल सिंह चौहान) स.प्र.से. आयुक्त नगर पालिक निगम देवास

विज्ञप्ति क्र. /७ ६५ / का.सेल. / 2023

देवास दिनांक 0 0 0 6 2023

:- पंचम निविदा विज्ञप्ति :-

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20(1)(2) के अंतर्गत यथावर्णित देवास सीनियर की भूमि सर्वे क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखें गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत पंचम बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते हैं। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हे अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्रस्थापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रि लिफाफा पद्धित प्रपत्रों में दिनांक 05.07.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो में नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखें गये टेण्डर बाक्स में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 04.07.2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य रू. 1180/— मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्थापना (आफर) दिनांक 06.07.2023 को प्रातः11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफ क. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त भुखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Φ.	प्लाट क .	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि वर्गमीटर में	भूखण्ड की आफर राशि	दस प्रतिशत अमानत राशि	विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों का उपयोग
1	190	90	6500	585000	58500	आवासीय
2	191	72	6500	468000	46800	आवासीय
3	194	72	6500	468000	46800	आवासीय
4	200	82.32	6500	535080	53508	आवासीय
5	204	91.44	6500	594360	59436	आवासीय

नोट :-

01. शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।

02. निविदा से संबंधित शर्तें एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट

www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।

(विशाल सिंह चौहान)रा.प्र.से. आयुक्त नग्द पालिक निगम देवास

क. / 82 ? का.सेल. / 23

देवास दिनांक 22 06 12023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्रीमती सुनिताबाई पित श्री कैलाशचन्द्र, श्री अजय पिता श्री कैलाशचन्द्र, श्री हेमंत पिता श्री कैलाशचन्द्र निवासी गोमती नगर बालगढ देवास विकासकर्ता स्वास्तिक बिल्डकॉन तर्फ पार्टनर 01. श्री राजेश कुमार जैन पिता श्री नेमीचंद जैन 02.श्री अनुज जैन पिता श्री राकेश जैन 234 एम.आर.—5 महालक्ष्मी नगर इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 308/1/2/2, 308/1/2/1 कुल रकबा 1.089 हैक्टर में से 0.955 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री कैलाश धाम कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 2942.72 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 04 से 09, 10 से 21, 22 से 30, 57 से 61 कुल 32 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2942.72 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्तं भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है जो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

9/12/27

/ 897/ का.सेल. / 23

देवास दिनांक 12)07 2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर बुद्धा इन्फास्ट्रक्चर तर्फ भागीदार श्री । यंक पिता श्री प्रमोद रघुवंशी, श्री शंकर पिता श्री सोपान भोले, श्री अंकित पिता श्री राजन्द्र जायसवाल, श्री हरीश पिता श्री मुकुटराव कनसे शॉप न.03 शारदा माता मंदिर कैलादेवी चौराहा देवास द्वारा ग्राम बाविडिया प.ह.न.38 तहसील देवास जिला देवास की भूमि सर्वे क. 249/2/2 कुल रकबा 0.350 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय देवास बुद्धा पार्क एक्सटेंशन को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1042.44 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 10, 13, 14, 20 एवं 23 से 28 कुल 19 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1042.44 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है से वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

2/m21 13.7.23

क. /9 0²/का.सेल./22

देवास दिनांक 12) 67/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर रुद्राक्ष इन्फा तर्फ पार्टनर श्री गौरव जैन पिता श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीनसिंह सोलंकी पिता श्री गंगा सिंह सोलंकी, श्री इन्द्रेश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पमनानी 90 शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम जेतपुरा तह व जिला देवास में स्थित खसरा क. 470/1, 470/2/2 कुल रकवा 1.052 हैक्टर में से 1. 051 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री रुद्राक्ष वेली को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2032.76 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 24 से 28, 37 से 48, 67 से 78 कुल 29 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2032.76 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है, तो वह पूर्णतः

अवैधानिक होकर शुन्यवंत रहेगा।

1m21 3.7.23 नगर पालिक निगेम देवास

विज्ञप्ति क्र. / 93.4 / का.सेल. / 2023

देवास दिनांक 20) 07/2023

:- षष्टम निविदा विज्ञप्ति :-

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20(1)(2) के अंतर्गत यथावर्णित देवांस सीनियर की भूमि सर्वे क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखे गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत पंचम बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते है। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हें अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्ररधापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रि लिफाफा पद्धति प्रपत्रों में दिनांक 08.08.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो में नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखे गये टेण्डर वाक्स, में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 07.08.2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य रू. 1180/- मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्थापना (आफर) दिनांक 09.08.2023 को प्रात:11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफे क. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त भुखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Б.	प्लाट क.	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफ़ल वर्गमीटर	न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि वर्गमीटर में	भूखण्ड की आफर राशि	दस प्रतिशत अमानत राशि	विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों का उपयोग
1	191	72	6500	468000	46800	आवासीय
2	200	82.32	6500	535080	53508	आवासीय

· नोट :--

01. शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।

02. निविदा से संबंधित शर्तें एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट

www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।

(विशाल सिंह च्रीहान)रा.प्र.सं. आयुक्त नगर पालिक निगम देवास